राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web official

प्रकरण संख्या : 95/2017

[illegible] पुत्र मन्ना बन जाति गुसाई निवासी बालून्दा तहसील मांगरोल जिला बारां

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गतधारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 आर0टी0 एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

निर्णय दिनांक : 14.05.2018

प्रस्तुत दिनांक: 14.12.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बालून्दा में हाल खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन खाल दर्ज है। इस भूमि मे सें 0.64 है0 भूमि वादी के कब्जे में चली आ रही है। वादी एक भूमिहीन काश्तकार है व इस भूमि पर पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से काबिज है। तथा जुर्माना अदा कर रहा है। प्रतिवर्ष धारा 91 एलआरएक्ट के तहत उसके नाम नोटिस जारी होते है। इस भूमि की किस्म पूर्व में बंजड थी किन्तु राजस्व कार्मिको ने इस भूमि की किस्म बदलकर गै0 मु0 खाल दर्ज कर दिया वादी के पिता का ना मन्नापुरी पुत्र चतरपुरी जाति गुसाई है तथा वादी के पिता के खाते में मात्र 2.43 है0 भूमि स्थित है तथा वादी के पिता सहित वादी सात भाई है। इसलिए वादी के पिता की भूमि के आठ हिस्से करने पर मात्र 2 से 3 बीघा जमीन आती है। प्रतिवर्ष वादी के नाम धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस जारी होते है तथा वादी जुर्माना जमा कराता है फिर भी प्रतिवादी वादी को इस भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है। जिसका उन्हे कोई अधिकार हासिल नही है। अतः ग्राम बालून्दा की खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 भूमि जिसमें से 0.64 है0 भूमि जिस पर वादी काबिज है की किस्म जो राजस्व कार्मिको ने बंजड से गै0मु0 खाल दर्ज कर दी है बदलकर वापस बंजड दर्ज करवाई जावें उक्त भूमि को वादी के नाम नियमन करने की सिफारिश के साथ नियमन कमेटी के समक्ष भिजवाया जावें तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि ताफैसला वाद प्रतिवादी विवादित भूमि से वादी को बेदखल ना करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.12.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है के द्वारा दिनांक 27.03.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो कि निम्नानुसार है–

1. बिन्दू सं0 1 कानूनी एवं रिकोर्डेड है।
2. बिन्दू सं0 2 रिकोर्डेड एवं कानूनी है। स्वीकार है।
3. बिन्दू सं0 3 जिस तरह अंकित है। अस्वीकार है। बल्कि रिकार्ड ऑफ राईट जमाबंदी चौसाला ग्राम बालून्दा सं0 2057 लगायत 2060 तक में खाता नं0 1 में सिवायचक नाकाबिल काश्त–(क) केवल चराई योग्य भूमिया (पअ) नदीयां एवं नाले के तहत आराजी खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 गैर मुमकिन खाल अंकित है एवं लेटेस्ट जमाबंदी चौसाला ग्राम बालून्दा सम्वत 2069–2072 की खाता संख्या 1 नदिया नाला एवं बेहड (चारागाह हेतु) में खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 गैर मुमकिन खाल अंकित है। वाद पत्र में जो किस्म बंजड से गैर मुमकिन खाल में राजस्व कर्मचारियो द्वारा बदलना अंकित किया है वह असत्य है बल्कि मुताबिक भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल के अनुसार सम्वत 2044 लगायत 2063 तक के अनुसार हाल आराजी खसरा नं0 279 रकबा 13.42 है0 गैर मुमकिन खाल ही अंकित है जो पूर्व राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार सही है।
4. बिन्दु नं0 4 आंशिक स्वीकार है। वादी के पिता के खाते में 2.43 है0 भूमि होना स्वीकार है। किन्तु भूमि का वादी को नियमन योग्य होना बिन्दु नं0 3 में अंकित कारण गैर मुमकिन खाल प्रतिबंधित भूमि होने से अस्वीकार है।
5. बिन्दु नं0 5 अस्वीकार है। वादी राजकीय प्रतिबंधित भूमि गैर मुमकिन खाल पर अवैध रूप से अतिकमी की हैसियत से काबिज है जिसका उसे काई अधिकार नही है, साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता लैण्डहोल्डर तहसीलदार मांगरोल को एल0आर0एक्ट0 1956 की धारा (3) के तहत विधिक रूप से अतिकमी को जुर्माने/बेदखली एवं सिविल कारावास से दण्डित करने का अधिकार है।
6. बिन्दु नं0 6 कानूनी है।
7. बिन्दु नं0 7, 8 व 9 कानूनी है।

विशेष निवेदनः–

यह है कि वर्तमान में ग्राम बालून्दा तहसील मांगरोल की खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 भूमि जो गैर मुमकिन खाल है राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो सम्वत 2044 लगायत 2063 के मिलान क्षैत्रफल के

अनुसार हाल आराजी खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 जो गैर मुमकिन खाल ही अंकित है जो पूर्व राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिती के अनुसार यथावत है। उक्त भूमि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियां जिनमें भविष्य में भी कोई खातेदारी अधिकार प्रोदभूत (उत्पन्न) नही होंगे के तहत आती है। इस प्रकार की भूमियों में किसी प्रकार की अतिक्रमण/काश्त आदि करने पर भी कोई अधिकार आवंटन/नियमन के तहत नही प्राप्त होगा। बल्कि इस प्रकार की गैर मुमकिन सार्वजनिक हित की प्रतिबंधित भूमियां यदि किस्म आदि परिवर्तन कर पूर्व में किसी व्यक्ती विशेष के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित भी हो चुकी हो तो भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की रूलिगं "अब्दुल रहमान बनाम सरकार" के तहत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर में रेफरेन्स दर्ज कराकर वापस उक्त प्रतिबंधित श्रेणी गैर मुमकिन नदी नाले खाल तालाब आदि सार्वजनिक हितार्थ में वापस इन्द्राज अंकित किया जावेगा।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृष्टांत किया जाना समीचीन होगा–

| | |
|---|---|
| 1 | केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है<br>(परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482) |
| 2 | किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है।<br>(रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391) |
| 3 | केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते।<br>(राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78) |

2011(2) 721

माननीय **राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच**

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल शर्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेकार्डेड–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी शक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं सार्वजनिक प्रतिबंधित भूमि पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर लाया है अतः उक्त वाद अविलम्ब राजहित में खारिज फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि वादी ग्राम बालून्दा में हाल खसरा नं0 279 रकबा 12.78 है0 भूमि स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन खाल दर्ज है। इस भूमि मे सें 0.64 है0 भूमि वादी के कब्जे में है एवं मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड में खातेदार कृषक दर्ज करवाना चाहता है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।